देश की सबसे बड़ी ज़िंक उत्पादक कंपनी पर देश की सबसे बड़ी कर चोरी के आरोप!!!

एसडीआरआई की जांच मे
2500 करोड़ और 1113.63 करोड़
कुल 3613.63 करोड़ रूपये की रॉयल्टी चोरी के मामले मे
हिंदुस्तान ज़िंक लि. का नाम आया सामने!!!

रॉयल्टी चोरी के साथ साथ इन्कम टेक्स और जीएसटी चोरी का भी बड़ा मामला!!

इतने बड़े मामले मे नाम उछलने के बावजूद कंपनी की जुबान पर ताला!!!

कंपनी की सफाई!!!

चाँदी उत्पादन के साथ तीन वित्तीय वर्षो मे,
आयातित खनिज से भी किया गया था 196 टन चाँदी उत्पादन
यह भी कहा कि एसडीआरआई के आंकड़ो मे गड़बड़ी!!!

कंपनी के जवाबो पर उठ रहे कई सवाल?

*भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत प्रकाशन एवं समस्त प्रकाशन IT Act 2000 के तहत उत्तरदायी सर्वाधिकार@www.jawabdosarkar.com

जवाब दो!!! सरकार
www.jawabdosarkar.com
देश का पहला जवाबदेही पोर्टल

देश के लिए... अव्यवस्था के खिलाफ... ™
JAWAB DO SARKAR
www.jawabdosarkar.com
(A Digital Media Initiative to promote Accountability)

रेफरेंस संख्या –2022/ak/01 | E-Newsletter, Issued in Public Interest | गुरुवार, 17 फरवरी 2022

अपने हक के पैसे की,
ना सरकार को चिंता और
ना ही खान विभाग को!!!!

भाग-4

खान विभाग कर रहा,जांच के नाम पर खानापूर्ति!!!

खान विभाग के आला अधिकारियों ने गेंद डाली जिले के खनिज अभियन्ताओं के पाले मे!!!

जिले के खनिज अभियंता ना तो कार्यवाही कर रहे और ना ही दे रहे जानकारी!!!!

इन्कम टेक्स और जीएसटी को भी खान विभाग नहीं कर रहा सहयोग!!!

एक तरफ कंपनी का नाम राज्य की अब तक की सबसे बड़ी कर चोरी मे लिप्त, वहीं दूसरी तरफ यही कंपनी सामाजिक उत्तरदायित्वों के नाम पर लूट रही वाहवाही।

*भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत प्रकाशन एवं समस्त प्रकाशन IT Act 2000 के तहत उत्तरदायी
सर्वाधिकार@www.jawabdosarkar.com

क्या है हिंदुस्तान ज़िंक लि. द्वारा की गयी 3613.63 करोड़ रूपये रॉयल्टी चोरी का मामला!!!

विगत दो सालो मे राज्य की सबसे बड़ी जांच एजेंसी एसडीआरआई द्वारा देश की सबसे बड़ी जिंक उत्पादक कंपनी मै. हिंदुस्तान जिंक लि द्वारा की गयी दो बड़ी कर चोरी के प्रकरणो क्रमश: चाँदी की करीब 2500 करोड़ की कर चोरी और लेड-जिंक धातु की करीब 1113.63 करोड़ की कर चोरी का खुलासा किया गया था|लेकिन पिछले 2 सालो से यह मामले खान विभाग की फाइलों मे पड़े धूल फांक रहे है|एक तरफ जहां खान विभाग के आला अधिकारी जिले के खनिज अभियंताओ पर अपने स्तर पर जांच करने के आदेश देकर, लंबी नींद के आगोश मे चले जाते है,वहीं दूसरी तरफ जिले के खनिज अभियंता कंपनी के प्रभाव मे ना तो प्रभावी जांच कर रहे और ना ही आम नागरिकों,सरकार और अन्य जांच एजेंसियों को किसी प्रकार की सूचना दे रहे है|वर्तमान मे जिला स्तर पर भीलवाडा/अजमेर/राजसमंद-2/उदयपुर के खनिज अभियंताओ के पास कर चोरी के इन दो बड़े मामलो की जांच लंबित है|

क्या है चाँदी की रॉयल्टी राशि 2500 करोड़ का मामला?

एसडीआरआई द्वारा वर्ष 2020 मे की गयी विस्तृत जांच के अनुसार बताया गया कि राज्य मे खनिज लेड एवं जिंक के खनन हेतु मै॰ हिंदुस्तान जिंक लि. के पक्ष मे जिला भीलवाडा,उदयपुर,राजसमंद व अजमेर मे क्रमश: रामपुरा-आगुचा,सिदेसरखुर्द,जावर,राजपुरा-दरीबा एवं कायद मे खनन पट्टे स्वीकृत किए गए है|जिनमे से उत्पादित खनिज लेड एवं जिंक का शुद्धिकरण इन खनन क्षेत्रों के नजदीक ग्राम चंदेरिया दरीबा एवं देवारी मे स्थापित स्मेल्टिंग प्लांट मे किया जाता है|उक्त स्मेल्टरों से लेड एवं जिंक के अतिरिक्त उप-उत्पाद के रूप मे चाँदी,केडमियम एवं सल्फ्यूरिक एसिड भी प्राप्त होता है|मै॰ हिंदुस्तान जिंक लि. द्वारा उक्त उत्पादित धातुओं के साथ उप उत्पाद चाँदी एवं केडमियम की मात्रा की सूचना खान विभाग एवं भारतीय खान ब्यौरो को रिटर्न के माध्यम से प्रेषित की जाती है|उक्त सूचना का प्रकाशन खान विभाग,उदयपुर एवं भारतीय खान ब्यौरो,नागपुर द्वारा क्रमश:उनकी वेबसाइट एवं वार्षिक पुस्तिका मे किया जाता है|एसडीआरआई द्वारा वर्ष 2012-13 से 2017-18 की अवधि मे खान विभाग की वेबसाइट एवं भारतीय खान ब्यौरो की वार्षिक पुस्तिका मे दर्शाये गए उक्त उप उत्पाद चाँदी और केडमियम के आंकड़ों मे अंतर पाया|जांच के अनुसार कंपनी द्वारा विभाग को चाँदी की कम और केडमियम की अधिक रॉयल्टी का भुगतान किया गया है|इस प्रकार कंपनी द्वारा 2537 करोड़ की रॉयल्टी की चोरी की गयी|

एसडीआरआई की इस जांच पर खान विभाग द्वारा मई 2020 से अब तक कई नोटिस जारी किए जा चुके है|इसी बीच कंपनी द्वारा जवाब भी दिया गया कि चाँदी उत्पादन के साथ आयात खनिज से भी चाँदी उत्पादन किया है|बहरहाल सरकार द्वारा इस मामले मे विभाग को जांच कर 30/08/2021 तक जांच/कार्यवाही से अवगत करवाने हेतु निर्देशित किया गया था,जिसका अभी तक कोई अता-पता नहीं है|

क्या है लेड-जिंक की रॉयल्टी राशि 1113.63 करोड़ का मामला?

एसडीआरआई द्वारा चाँदी की रॉयल्टी चोरी के संबंध मे बनाए गए प्रकरण मे दर्शाये गए समान तथ्यों के आधार पर ही लेड-जिंक की रॉयल्टी चोरी का मामला बनाकर जुलाई 2021 मे खान निदेशालय को भेजा गया|जिसमे कंपनी द्वारा 111.63 करोड़ की रॉयल्टी चोरी का मामला बनाया गया|इस मामले मे भी विभाग को जांच कर 30/08/2021 तक जांच/कार्यवाही से अवगत करवाने हेतु निर्देशित किया गया था,जिसका अभी तक कोई अता-पता नहीं है|

Times of India, Jaipur **16 June 2020**

SDRI unearths royalty evasion of ₹2,500 crore by mining firm

TIMES NEWS NETWORK

Jaipur: The State Directorate of Revenue Intelligence has claimed to have unearthed a royalty evasion of Rs 2,500 crore from Hindustan Zinc Limited (HZL), the largest mining company in the state.

Following an investigation, the SDRI intimated about it to the state mining department which has now given a notice to the company.

According to SDRI sources, HZL is operating five mines in Rampura, Aguncha (Bhilwara), Sindesar Khurd, Rajpura Dariba (Rajsamand), Jawar (Udaipur) and Kayad (Ajmer) for the exploration of lead-zinc in the state. In addition to lead-zinc, silver and cadmium are also obtained as a by-product.

"Under the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, the company involved in mining has to declare the minerals and by-products derived from quarrying to the Central Government Department of Mines Bureau and the State Government Department of Mines and Geology," said an officer of SDRI on condition of anonymity on Monday.

SDRI in its detailed investigation found that the exact quantity of silver and cadmium received by the company as a by-product for the past several years was not reported by HZL to the state government. Officials added that the production data of HZL from the year 2012-13 to 2017-18 had non-uniformity. "The production data of the company that was sent to Indian Bureau of Mines (IBM) of the central government and to state government's mines and geology department lacked uniformity. With documentary evidences we found that the data was being manipulated by the company. Based on our investigation, the additional director, mines (vigilance) has sent a notice to HZL on May 20. The company is supposed to pay the royalty within 30 days of receiving the notice," Sanjiv Singh, director general, SDRI told TOI on Monday.

First India
2ND FRONT 08
JAIPUR | TUESDAY, JUNE 16, 2020

Notice to Vedanta for alleged royalty theft

Kashiram Choudhary

vedanta
transforming elements

Jaipur: The premier zinc mining and manufacturing company of India - Hindustan Zinc Limited aka Vedanta has allegedly indulged in royalty theft from state government. In past five years, the company mined cadmium along with zinc, and it is alleged that the information of this mining was not given to state government. The mining department has been given a report in this regard by State Directorate of Revenue Intelligence claiming misrepresentation in statistic and on the basis of report, mining department has issued a notice to the company of recovery of Rs 2,500 crore.

The SDRI has registered a preliminary investigation report against Vedanta and handed the report of alleged royalty theft of Rs 2,500 crore to mining department. Based on this report, a recovery notice has been issued to Vedanta, which is the biggest lead and zinc mining company in Rajasthan.

As per MMDR Act 1957, mining company has to inform Indian Bureau of Mining of Central government and mining and geology department of state government about minerals and by products mined in any state. SDRI conducted a suo-moto investigation wherein it was alleged that for past several years, company records do not show right quantity of by-products - silver and cadmium- which has allegedly caused a royalty loss of Rs 2,500 crore to state. SDRI studied production details of Hindustan Zinc Limited from 2012-17 and then studied statistics of IBM and mining and geology department of state govt when data was, allegedly, not found to be corresponding, it was claimed that Vedanta has misrepresented quantity of silver. IBM was told more production while mining department was told of lesser and it is alleged that company hid information about mining 3.65 lakh kg of silver which has resulted in the alleged exchequer loss to government. Thus mining department has served a 30 day notice to company asking for right information about royalty, failing which the recovery will be done.

समाचार पत्रों मे प्रकाशित 2500 करोड़ और 1113 करोड़ के राजस्व चोरी के मामले

First India
2ND FRONT 08
JAIPUR | TUESDAY, JULY 13, 2021

RAIDS AT HINDUSTAN ZINC LIMITED

SDRI UNEARTHS ₹1,113 CR REVENUE THEFT FROM HZL!

Vimal Kothari

Udaipur: In what could be termed as a major action taken by the SDRI on Monday, a revenue theft of whopping Rs 1,113 crore was unearthed at the Hindustan Zinc Limited. The company's sites at Bhilwara, Rajsamand, Udaipur and Ajmer districts were raided, where the issue pertaining to embezzlement in royalty payment came to light.

State Directorate of Revenue Intelligence has registered a major success in detecting royalty evasion by the state's biggest mining company Hindustan Zinc Limited, which is the largest producer of lead and zinc in the state. As per the MMDR Act, 1957 a mining company has to declare the amount of mineral and its by-products extracted lo Indian Bureau of Mines (IBM) of the Central Government and Department of Mines and Geology (DMGR) of the State Government.

A suo-moto investigation by SDRI under the supervision of Director General of SDRI, Anand Swaroop, was initiated and a case has been registered after extensive in-house data analytics, which shows that for the last few years, this company has not been reporting the actual amount of lead and zinc extracted from

—FILE PHOTO

the mines. This has resulted in the revenue loss of Rs. 1,113 crore. SDRI teams compared the data provided by Hindustan Zinc Limited to IBM and DGMR and also that data which the company wilfully declared in its own annual reports." Notably, the data from the years 2013-14 to 2018-19 was checked by the SDRI.

After analysis it was found that there was no uniformity in the provided data and "on analysing the difference of the three declared amounts of lead and zinc produced, it was found that the company has declared less production in DGMR than what it has declared in the IBM."

It is evident that the state government collects royalty on the amount of mineral declared by the company. The audit and analysis wing conducted a thorough analysis of the available data and detected this misrepresentation of data by the company. Meanwhile, a detailed report of this case has been sent to Department of Mines and Geology (DMGR) for further action.

Notably, highly placed sources reveal that the data from 2018-19 onwards is yet to be investigated. Now the state Mining Department will have to be quick on its feet and start a bid to realise the lost revenue.

राजस्थान पत्रिका
जयपुर, मंगलवार, 16 जून, 2020

विस्तृत खबर के लिए पढ़ें... राजस्थान पत्रिका
patrika.com

हिंदुस्तान जिंक को 2500 करोड़ का नोटिस

जयपुर. राजस्थान के खान एवं भू-विज्ञान विभाग ने हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड को खनिज चांदी की रॉयल्टी अपवंचना के लिए 2500 करोड़ रुपए का वसूली नोटिस जारी किया है। विभाग में नोडल अधिकारी (खान) अतिरिक्त निदेशक (सतर्कता) दीपक तंवर ने हिंदुस्तान जिंक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उदयपुर को 30 दिन का वसूली नोटिस दिया है। इस अवधि में कंपनी की ओर से गत दस वर्षों की घोषित चांदी पर दी गई रॉयल्टी की सही सूचना खान विभाग को प्रदान नहीं किए जाने की स्थिति में 2500 करोड़ रुपए की मांग कायम कर वसूली की जाएगी। एसडीआरआइ में दर्ज प्रकरण में की गई विस्तृत जांच में पता चला है कि कंपनी पिछले कई सालों से उपउत्पाद के रूप में प्राप्त होने वाले चांदी एवं कैडमियम की सही मात्रा राज्य सरकार को सूचित नहीं कर रही थी।

दैनिक भास्कर

16-Jun-2020
जयपुर Page -2

एसडीआरआई ने पकड़ी चोरी, खान विभाग को वसूली के आदेश

हिन्दुस्तान जिंक को रॉयल्टी केस में 2500 करोड़ रु. वसूली का नोटिस

भास्कर न्यूज़ | जयपुर

प्रदेश की सबसे बड़ी लेड और जिंक की खननकर्ता कंपनी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड पर ढाई हजार करोड़ रुपए की रिकवरी निकाली गई है। रॉयल्टी चोरी प्रकरण से जुड़े मामलों में एसडीआरआई ने खान विभाग को इसकी वसूली के आदेश दिए हैं। इसके बाद खान विभाग ने हिंदुस्तान जिंक को ये पैसे जमा कराने का नोटिस जारी कर दिया है। हिंदुस्तान जिंक कंपनी राज्य सरकार को उप उत्पाद (बाई प्रॉडक्ट) के रूप में प्राप्त होने वाली चांदी एवं कैडमियम की सही मात्रा नहीं बता ... से 2017-18 तक ही राज्य सरकार को हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा चांदी के 3,64,510 किलोग्राम उत्पादन की कम घोषणा की गई है। इसका कुल मूल्य लगभग 2500 करोड़ रुपए होता है। वर्ष 2012-13 से वर्ष 2017-18 तक कम प्राप्त की गई रॉयल्टी के वसूली हेतु हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उदयपुर को 30 दिवस का वसूली नोटिस जारी किया गया है। 30 दिवस में कंपनी द्वारा गत 10 वर्षों की घोषित चांदी पर दी गई रॉयल्टी की सही सूचना खान विभाग को प्रदान नहीं किए जाने की स्थिति में 2500 करोड़ रुपए की ...

एसडीआरआई द्वारा उजागर की गयी हिंदुस्तान जिंक लि. की 3613.63 करोड़ की रॉयल्टी चोरी के मामले मे त्वरित वसूली के नाम पर चल रही खान विभाग की खानापूर्ति

हमारे द्वारा इस मामले के संबंध मे मुख्यमंत्री सहित संबन्धित विभागों के केंद्रीय और राज्य सरकार के ढेढ दर्जन अधिकारियों को इस मामले मे कार्यवाही हेतु करीब 7 महीने से लगातार पत्र लिखे जा रहे है|इस संबंध मे संपर्क पोर्टल पर दर्ज परिवाद संख्या 082105510708373 के क्रम मे निदेशक महोदय(Admin) खान एवं भूविज्ञान विभाग,द्वारा दिनांक 24/09/2021 को जवाब दिया गया कि:-

"प्रकरण मे अतिरिक्त निदेशक खान(सतर्कता-मुख्यालय),निदेशालय द्वारा अवगत कराया गया है कि SDRI से उक्त प्रकरण जांच हेतु प्राप्त होने पर,खनिज सिल्वर के 2500 करोड़ की रोयल्टी अपवंचन के प्रकरण मे कंपनी को नोटिस दिये गए|कंपनी द्वारा अपने प्रतिउत्तर मे चाँदी के उत्पादन के साथ,आयातित खनिज से भी चाँदी उत्पादन बताया गया|कंपनी द्वारा प्रस्तुत प्रतिउत्तर व SDRI की रिपोर्ट के आंकड़ो का तुलनात्मक विवरण संबन्धित एसेसिंग अथॉरिटी खनिज अभियंता भीलवाडा/अजमेर/राजसमंद-2/उदयपुर को प्रेषित किया जाकर,उनके कार्यालयों मे प्रस्तुत आंकड़ो का मिलान भारतीय खान ब्यौरो को कंपनी द्वारा प्रस्तुत मासिक/वार्षिक आंकड़ो से कर,जांच कर नियमानुसार कार्यवाही कर,की गयी जांच/कार्यवाही से निदेशालय को अवगत करने बाबत निर्देशित किया गया है|साथ ही खनिज लेड-जिंक के 1113.63 करोड़ की संभावित रॉयल्टी अपवंचन के प्रकरण मे संबन्धित एसेसिंग अथॉरिटी खनिज अभियंता भीलवाडा/अजमेर/राजसमंद-2/उदयपुर को निर्देशित किया गया है तथा संबन्धित अतिरिक्त निदेशक खान उदयपुर को प्रकरण मे मॉनिटरिंग कर उक्तानुसार कार्यवाही करवाना सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया है|परिवाद मे जांच कमिटी बनाए जाने बाबत अंकित किया गया है|निदेशालय के आदेश दिनांक 03/02/2020 से गठित कमिटी द्वारा खनन पट्टों की जांच की जा रही है|उक्त कमिटी को SDRI से प्राप्त PIR बाबत तथ्य उपलब्ध करा दिये गए है एवं नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है|अतिरिक्त निदेशक खान(सतर्कता-मुख्यालय)के प्रत्युत्तर की प्रति संलग्न है|"

विभाग के आला अधिकारी इस मामले मे आगे बात तक करने को तैयार नहीं है|इस मामले मे विभाग के आला अधिकारियों कहना है कि उनके स्तर पर कोई मामला लंबित नहीं है और उनके द्वारा सरकार को जवाब भेजा जा चुका है|

कंपनी बता रही चाँदी उत्पादन के साथ आयातित खनिज से भी चाँदी उत्पादन और एसडीआरआई के आंकड़ो मे गड़बड़ी

खान विभाग द्वारा कंपनी को इस प्रकरण मे दिये गए नोटिसों के जवाब मे कंपनी द्वारा बताया गया है कि उसके द्वारा वर्ष 2012-13,2013-14,2014-15 मे चाँदी उत्पादन के अलावा आयातित कन्संट्रेट(खनिज) से भी 196 टन चाँदी का उत्पादन किया गया था|यदि कंपनी का यह जवाब सही है तो कंपनी के इस दावे पर भी कई सवाल उठ खड़े होते है|यदि कंपनी यह दावा करती है कि वह आयातित कन्संट्रेट(खनिज) से भी चाँदी उत्पादन करती है तो किन देशो से, कितनी मात्रा मे,किस रूप मे,किस माध्यम से कुल खनिज आयात किया गया था?केवल तीन वित्तीय वर्षो के लिए ही खनिज क्यूँ आयात किया गया?कंपनी द्वारा उक्त आयातित कन्संट्रेट(खनिज) से संबन्धित दस्तावेज़ क्यूँ नहीं पेश किए जा रहे?क्या आयातित वस्तुओं पर नजर रखने वाली जांच एजेंसी यथा कस्टम विभाग को इस सम्पूर्ण मामले की जानकारी है?

इतना ही नहीं कंपनी का तो यहाँ तक कहना है कि उसने कोई टेक्स की चोरी नहीं की है एसडीआरआई के आंकड़ो मे ही गड़बड़ी है|

क्या खनिज अभियंता जैसा अदने से अधिकारी हिंदुस्तान ज़िंक लि. जैसी दिग्गज कंपनी के विरुद्ध कार्यवाही की हिम्मत कर सकते है?

इस मामले मे सबसे बड़ा अफसोसजनक बात यह है कि खान विभाग के आला अधिकारी इस मामले मे चार जिलो के खनिज अभियन्ताओं को कार्यवाही करने और संबन्धित अतिरिक्त निदेशक,उदयपुर को इस प्रकरण मे मॉनिटरिंग और कार्यवाही सुनिश्चित करवाने की बात टाल कर खुद बेफिक्र हो गए है|जबकि हकीकत यह है कि जिले के खनिज अभियंताओ की हिम्मत नहीं है की वह हिंदुस्तान ज़िंक लि जैसी दिग्गज कंपनी के विरुद्ध कार्यवाही की अनुशंसा कर सके|इसी के चलते कंपनी से वसूली का मामला लंबा होता जा रहा है|

इन्कम टेक्स और जीएसटी को भी खान विभाग नहीं कर रहा जांच मे सहयोग!!!

इस मामले को जहां राज्य सरकार और खान विभाग लगातार दबाने का प्रयास कर रहे है वहीं देश की सबसे बड़ी एजेंसियां इन्कम टेक्स और जीएसटी इन मामलो मे अपनी नजरे गढ़ाए बैठी हुई है|गौरतलब है कि यदि कंपनी के विरुद्ध कर चोरी सिद्ध हो जाती है तो यह भी सिद्ध हो जाएगा कि कंपनी द्वारा इन्कम टेक्स और जीएसटी की भी करोड़ो रुपयों मे चोरी की गयी है|

लेकिन कर चोरी के इतने बड़े मामले के खुलासे के बावजूद खान विभाग की ढिठाई के आगे इन जांच एजेंसियों की एक नहीं चल रही है|दोनों विभाग लगातार इस मामले से संबन्धित दस्तावेज़ उपलब्ध करवाने के लिए खान विभाग को चिट्ठियाँ चला रहे है|लेकिन दोनों एजेंसियों के दबाव के बावजूद आज दिनांक तक कोई खास और महत्वपूर्ण दस्तावेज़ खान विभाग द्वारा उपलब्ध नहीं करवाए जा सके है,जिससे की दूध का दूध और पानी का पानी हो सके|खान विभाग की इस गैरजिम्मेदाराना हरकत से यह तो साफ हो गया है कि कहीं ना कहीं कंपनी का दबाव और प्रभाव सरकार के नुमाइन्दो और कारिंदो दोनों पर है|

एक तरफ कंपनी का नाम राज्य की अब तक की सबसे बड़ी कर चोरी मे लिप्त,वहीं दूसरी तरफ यही कंपनी सामाजिक उत्तर दायित्वों के नाम पर लूट रही वाहवाही|

सबसे बड़ी बात यह है कि एक तरफ जहां कंपनी का नाम राज्य की अब तक की सबसे बड़ी कर चोरी मे सामने आ रहा है,वहीं दूसरी तरफ यही कंपनी सामाजिक उत्तर दायित्वों के नाम पर वाहवाही लूट रही है|गत सप्ताह वेदांता समूह की अनिल अग्रवाल फाउंडेशन द्वारा राज्य सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग के साथ एमओयू किया गया जिसके तहत राज्य की 25 हजार आंगनबाड़ियों को मोर्डेनाइजेशन कर नन्दघर बनाया जाएगा|फाउंडेशन का दावा है की उसके द्वारा आने वाले 3 सालो मे 800 रुपए इस प्रोजेक्ट पर खर्च किए जाएंगे|

Raj govt signs MoU of ₹750 cr with Vedanta Group

Jaipur: Raj govt on Tuesday signed an MoU with Anil Agarwal Foundation of Vedanta Group to develop 25,000 Anganwadi Centres as Nand Ghar by spending about Rs 750 crore (Rs 3 lakh/ Anganwadi). CM Gehlot said that Anganwadi centres can play an important role in preparing children as excellent human resources by giving better nutrition & good edu. Anil Agarwal said that devp of such centres is effort so that kids can get good health. —FIB

Sreya Guha and Ritu Jhingan sign MoU with Anil Agarwal Fndn of Vedanta Group to develop 25,000 Anganwadi Centres as CM Gehlot, Usha Sharma, Kuldeep Ranka, Urmila Rajoria & Priya Agarwal look on.

रॉयल्टी वसूली के लिए गठित कमिटी कर रही जांच के नाम पर कंपनी के प्लांट की इंडस्ट्रियल विजिट!!!

आपको बता दें कि निदेशालय खान विभाग द्वारा दिनांक 03/02/2021 को एक कार्यालय आदेश जारी कर मैसर्स हिंदुस्तान जिंक लि. के उदयपुर,राजसमंद एवं भीलवाडा मे स्थित खनन पट्टों मे कंपनी द्वारा विभाग को प्रस्तुत किए जा रहे रॉयल्टी निर्धारण के आंकड़ों की क्रॉस चेकिंग करने तथा कंपनी द्वारा पूर्व मे यदि रॉयल्टी कम अदा की गयी हो तो उसकी वसूली हेतु सुझाव एवं भविष्य मे विभाग को किसी प्रकार का राजस्व हानि नहीं हो, इसके लिए रॉयल्टी निर्धारण किए जाने हेतु अपनायी जाने वाली मानक प्रक्रिया तैयार कर प्रस्तुत करने हेतु एक कमिटी का गठन किया गया|इस कमिटी मे (1)वित्तीय सलाहकार,के.का.,उदयपुर(2)अतिरिक्त निदेशक खान,उदयपुर ज़ोन,उदयपुर(3)अधीक्षण भू-वैज्ञानिक उदयपुर(4)वरिष्ठ रसायनज्ञ के.का.,उदयपुर को नियुक्त कर एक माह मे अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश जारी किए|

परंतु आपको आश्चर्य होगा कि इस आदेश के जारी होने के लगभग डेढ़ साल बाद चालू वर्ष के सितंबर माह मे इस कमिटी द्वारा इस निरीक्षण को करने की जहमत उठाई,सबसे बड़ी बात यह है कंपनी की खातेदारी ने इस महत्वपूर्ण निरीक्षण को भी मात्र इंडस्ट्रियल विजिट बना कर रख दिया|निरीक्षण गठित कमिटी द्वारा खनन पट्टा संख्या 7/1995 सिंदेसर खुर्द,रेलमगरा,राजसमंद और खनन पट्टा संख्या 166/2008 ग्राम राजपुरा,रेलमगरा,राजसमंद का निरीक्षण कर धातु जिंक,लेड एवं सिल्वर के निष्कर्षण के बारें मे जानकारी ली|

इस मामले मे सबसे बड़ा सवाल यह है कि इतने बड़े रॉयल्टी चोरी के मामले मे खान विभाग ऐसी ढिलाई क्यूँ बरत रहा है?जबकि राज्य पहले से ही वित्तीय संकट से जूझ रहा है|

खान विभाग की कमेटी ने किया हिन्दुस्तान जिंक का निरीक्षण

स्वीकृत खनन पट्टों के रॉयल्टी भुगतान के संबंध में ली जानकारी

उदयपुर। खान विभाग की कमेटी द्वारा हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड के पक्ष में स्वीकृत खनन पट्टा के रॉयल्टी भुगतान के संबंध में गहन निरीक्षण किया गया। उदयपुर जोन के अतिरिक्त निदेशक (खान) की अध्यक्षता में वित्तीय सलाहकार, अतिरिक्त निदेशक (भूविज्ञान) मुख्यालय, वरिष्ठ रसायनज्ञ की गठित कमेटी द्वारा खनन पट्टा संख्या 7/1995 वास्ते खनिज केडमियम, लेड, सिल्वर व जिंक निकट-ग्राम सिन्देसर खुर्द, रेलमंगरा, राजसमंद एवं खनन पट्टा संख्या 166/2008 वास्ते खनिज केडमियम, लेड, सिल्वर व जिंक निकट ग्राम राजपुरा, रेलमंगरा, राजसमंद जो कि मैसर्स हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड के पक्ष में स्वीकृत है, का निरीक्षण कर धातु जिंक, लेड एवं सिल्वर के निष्कर्षण के बारे में जानकारी ली।

कमेटी ने देखी सम्पूर्ण प्रक्रिया- कम्पनी द्वारा रॉम को तीन स्टेज में 150एमएम से 20एमए तक क्रशड किया जाता है। फिर बॉल मिल एवं रॉड मिल में

इस खनिज को 75 माईक्रोन तक ग्राइण्ड किया जाता है। स्क्रीन फ्लो सिस्टम पर एक्सरे विश्लेषण द्वारा रिकॉर्डिंग अयस्क ग्रेड की निगरानी और प्रयोगशाला परीक्षण के नमूने एकत्रित किये जाते हैं। तत्पश्चात् फ्रॉथ फ्लोटेशन के द्वारा बेनिफिसियेशन और सेप्रेशन के माध्यम स्पेलेराईट एवं गेलेना को अलग किया जाता है। कम्पनी द्वारा स्थापित एकीकृत परिवहन प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से ऑर कन्सनट्रेट को स्मेल्टर में भेजा जाता है। तत्समय खनिज वाहन कार्मिक विहिन स्वचालित वे-ब्रिज पर खनिज वजन व ई-रवन्ना जारी होती है। उस समय भी खनिज सेम्पल लिये जाते हैं, जो प्रयोगशाला में प्रेषित किये जाते हैं। प्रयोगशाला में नमूनों की जॉंच प्रक्रिया, रेकॉर्ड संधारण तथा नमूनों के संरक्षण प्रबंधन आदि की प्रक्रिया के बारे में विस्तृत जानकारी की गई। इस खनिज के कन्स्ट्रेटिंग स्मेल्टिंग के लिए शिवपुर प्रेषित किया जाता है जहां पर विभिन्न कंसंट्रेट को सम्मिश्रण किया जाता है, सान्द्रण का ऑक्सीकरण किया जाता है, इस प्रक्रिया से सल्फ्यूरिक एसिड का निर्माण किया जाता है तथा इलेक्ट्रोलिसिस विधि द्वारा जस्ता और सीसा धातुओं का निष्कर्षण किया जाता है। इसके सम्पूर्ण परिष्किरण प्रक्रिया में संधारित किये जाने वाले रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। कमेटी द्वारा सम्पूर्ण निरीक्षण देय अधिशुल्क की अदायगी के सही आंकलन के लिये किया गया।

फैल्सपार के अवैध निर्गमन पर निरंतर कार्यवाही जारी

उदयपुर,। खान विभाग की ओर से जिले में अवैध खनन एवं निर्गमन के लिए लगातार कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में खनि अभियन्ता चन्दन कुमार एवं उदयपुर टीम द्वारा अम्बेरी के पास 3 ट्रोले खनिज फैल्सपार के अवैध परिवहन करते हुये जब्त कर कार्यालय परिसर में खडे करवाये गये। वहीं 1 ट्रेक्टर खनिज क्वार्ट्ज का अवैध परिवहन करते हुये जब्त कर पुलिस चौकी भटेवर में खडा कराया गया तथा 1 ट्रोला खनिज फैल्सपार का अवैध परिवहन करते हुये ऋषभदेव टीम द्वारा जब्त किया गया, जिस पर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जाएगी। उदयपुर टीम के खनि कार्यदेशक महेश मीणा, धर्मपाल राणावत, लोकेन्द्र सुमन, तगाराम, आवेश माथुर एवं ऋषभदेव टीम के सहायक खनि अभियन्ता नरेन्द्र एवं ओ.पी.मीणा द्वारा अवैध खनन/निर्गमन की रोकथाम हेतु निरंतर प्रभावी कार्यवाही की जा रही है, ताकि फैल्सपार व अन्य खनिज के अवैध निर्गमन पर पूर्णतया अंकुश लगाया जा सकें।

जवाब मांगते सवाल?

1. खान विभाग द्वारा इस मामले की जांच के लिए किसी विशेष अधिकारी को क्यूँ नियुक्त नहीं किया जाकर,जांच का सारा जिम्मा चार जिलो के खनिज अभियन्ताओं पर डाल कर इतिश्री कर ली गयी?जबकि एसडीआरआई द्वारा आईबीएम,खान विभाग और कई विभागो से डेटा संग्रहीत कर एक पूर्ण जांच रिपोर्ट विभाग को सौंपी थी|जांच पर जांच बैठाने के पीछे खान विभाग की क्या मंशा है?
2. आखिर क्यूँ इस मामले की जांच खान विभाग के उन्ही अधिकारियों द्वारा करवाई जा रही है जिनके संरक्षण मे कंपनी कई सालो से रॉयल्टी की चोरी कर रही है?क्या इस मामले की CAG जैसी स्वतंत्र जांच एजेंसी से नहीं करवानी चाहिए?
3. रॉयल्टी चोरी के इस गंभीर प्रकरण मे संबन्धित एसेसिंग अथॉरिटी खनिज अभियंता भीलवाडा/अजमेर/राजसमंद-2/उदयपुर द्वारा दो सालो मे जांच को अंजाम क्यूँ नहीं दिया जा रहा?
4. आखिर क्यूँ विभाग मे लाखो रुपयों की मासिक तंख्वाह उठाने वाले अधिकारियों की जवाबदेही तय नहीं की जा रही?
5. कंपनी द्वारा किन- किन देशो से, कितनी मात्रा मे,किस रूप मे,किस माध्यम से कुल खनिज आयात किया जाता है?इस आयातित खनिज से कितनी मात्रा मे कहाँ पर(किस स्मेल्टर मे) चाँदी निकाली जाती है?
6. कंपनी द्वारा केवल तीन वित्तीय वर्षो(2012-13,2013-14,2014-15) के लिए ही उक्त खनिज को क्यूँ आयात किया गया?कंपनी द्वारा उक्त आयातित कन्संट्रेट(खनिज) से संबन्धित दस्तावेज़ क्यूँ नहीं पेश किए जा रहे?
7. क्या आयातित वस्तुओं पर नजर रखने वाली जांच एजेंसी यथा कस्टम विभाग को इस सम्पूर्ण मामले की जानकारी है?
8. विनिवेश से पूर्व जब हिंदुस्तान ज़िंक लि. सरकार के अधीन थी उस समय क्या जिंक अयस्क से चाँदी निकाली जा रही थी?उस समय जिंक अयस्क की स्लरी का स्टॉक कितना था और उसे कहाँ कहाँ डंप किया गया था?
9. क्या यह संभव है कि वेदांता ग्रुप द्वारा हिंदुस्तान ज़िंक लि. को टेकओवर करने से पहले संसाधनों के अभाव मे जिस जिंक अयस्क के स्टॉक से चाँदी नहीं निकाली जा रही थी,उस पुराने डंप किए गए माल को प्रोसेसिंग कर,वर्तमान मे चाँदी निकाली जा रही हो?
10. यदि एसडीआरआई की यह जांच रिपोर्ट सही है तो क्या यह रॉयल्टी चोरी के साथ साथ इन्कम टेक्स,जीएसटी की चोरी का मामला नहीं बनता है,क्यूंकि जिस चाँदी के उत्पादन को सार्वजनिक ही नहीं किया गया हो तो उसकी खपत कहाँ और कैसे बताई गयी होगी?
11. खान विभाग द्वारा इन्कम टेक्स और जीएसटी विभाग को क्यूँ सम्पूर्ण दस्तावेज़ उपलब्ध नहीं करवाए जा रहे?
12. खान विभाग द्वारा गठित कमिटी द्वारा कंपनी के प्लांटों के निरीक्षण मे क्या खामियाँ पायी गयी?इस कमिटी द्वारा रॉयल्टी वसूली के क्या सुझाव दिये गए?

इस प्रकरण मे खान विभाग द्वारा दिया गया रटा-रटाया जवाब|

राजस्थान सरकार
निदेशालय खान एवं भू-विज्ञान विभाग खनिज भवन, उदयपुर 313001
दूरभाष / 2415001-05, फैक्स 0294-2410520

यू.ओ. नोट

विषयः- संपर्क पोर्टल पर दर्ज परिवाद क्रमांक 082105510708373 के संबंध में।
प्रसंगः- आपके यू.ओ नोट क्रमांक 322 दिनांक 31.08.2021 के क्रम मे।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत आप द्वारा उक्त प्रासंगिक यू.ओ नोट से श्री ज्ञानेश कुमार के परिवाद क्रमांक 082105510708373 जो कि एसडीआरआई द्वारा उजागर की गई हिंदुस्तान जिंक लि. की 3613.63 करोड़ की संभावित रॉयल्टी अपवंचना के संबंध में है, की प्रति सलग्न भिजवाई जाकर प्रत्युत्तर उपलब्ध कराने हेतु लिखा गया था जिसके कम में लेख है कि एसडीआरआई से उक्त प्रकरण आवश्यक जांच / कार्यवाही हेतु इस अनुभाग को प्राप्त हुआ। जिसके कम में खनिज सिल्वर के 2500 करोड़ के रॉयल्टी अपवंचन के प्रकरण में कंपनी को नोटिस दिये। कंपनी द्वारा प्रस्तुत जवाब में उन्होंने चांदी उत्पादन के साथ आयात खनिज से भी चांदी उत्पादन होना बताया गया। कंपनी द्वारा प्रस्तुत उत्तर व एसडीआरआई से प्राप्त रिपोर्ट के आंकड़ों का तुलनात्मक विवरण संबंधित एसेसिंग ऑथेरिटी खनि अभियन्ता, भीलवाड़ा / अजमेर / राजसमंद-II / उदयपुर को प्रेषित कर उनके कार्यालयों में प्रस्तुत आंकडो का मिलान भारतीय खान ब्यूरों से कंपनी द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों(मासिक / वार्षिक) की प्रति मंगवाकर मिलान कर जांच कर, नियमानुसार कार्यवाही कर की गई जाच / कार्यवाही से दिनाक 30.08.2021 तक निदेशालय को अवगत कराने हेतु तथा खनिज लेड-जिंक के 1113.63 करोड की संभावित रॉयल्टी अपवंचन के प्रकरण में इस कार्यालय द्वारा पत्र दिनांक 23.07.2021 से संबंधित एसेसिंग ऑथेरिटी खनि अभियन्ता, भीलवाड़ा / अजमेर / राजसमंद-II / उदयपुर को निर्देशित किया गया है तथा संबंधित अतिरिक्त निदेशक खान, उदयपुर-जोन को प्रकरण में मोनेटरिंग कर उक्तानुसार कार्यवाही करवाना सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया है

जहा तक परिवाद में जांच हेतु कमेटी बनाये जाने बाबत् अंकित किया गया है, निदेशालय के आदेश दिनांक 03.02.2020(प्रति सलंग्न) से गठित कमेटी द्वारा खननपट्टों की जांच की जा रही है एवं उक्त कमेटी को एसडीआरआई से प्राप्त पीआईआर बाबत् तथ्य उपलब्ध करा दिये गये है व नियमानुसार कार्यवाही कराई जा रही है।

भवदीय,

15/9/21
(एन.के. कोठारी)
अतिरिक्त निदेशक खान (सत०मु०)

क्रमांकः- निदे / सत / एस.डी.आर.आई. / प.152 / 2021 / 287 दिनांक - 15/9/21

नोडल अधिकारी(संपर्क पोर्टल),
के. का. उदयपुर।

इस प्रकरण मे हिंदुस्तान जिंक लि. द्वारा दिया गया जवाब|

vedanta
transforming elements

HINDUSTAN ZINC
Zinc & Silver of India

12.2.21

HZL/BD/2020-21/533

08-02-2021

To
Pr. Secretary (Mines & Petroleum)
Mines Department
Govt of Rajasthan,
Jaipur (Raj)

Sub: HZL Matter of alleged invasion by SDRI through Department of Mines & Geology

Ref: Recent meeting with yourself on 18-01-2021

Respected Sir,

In reference to above, we draw your kind attention on the Notice dt 09.11.2020 from ADM (Vigilance). Along with this notice the referred Annexure was not provided. Later the copy received was not legible. We had requested SDRI to provide the legible copy but still the same not provided. Further, some of the details we could obtain but there was no calculation and basis of calculation / data which has been considered by SDRI. That too has not been provided yet by SDRI / DMG.

As per the partial details made available, the difference has been worked out by the value declaration by HZL to IBM and DMG. We want to draw your kind attention that in the years 2012-13, 2013-14, 2014-15, we had produced silver from imported concentrate which was around 196 Tonnes. The same is not liable to Royalty and as such the huge difference has arisen.

Secondly, from the table what we could get, there seems to be some error in value considered by SDRI or provided by DMG as we could see that the price of silver on basis of data of SDRI in Year 2014-15 is coming out to be only Rs 9500 per kg resulting in huge difference. The records need to be checked again at department level because for the years from 2012-13 to 2017-18 we have deposited the Royalty towards silver amounting 619.5 Crores.

The above figures show that there appears to be some error in data being considered by SDRI/DMG and same needs to be verified again.

We request you to form the joint committee to look-into the details of this matter to resolve and close.

Thanks,

Yours faithfully,

(V Jayaraman)
Authorized Signatory

सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत उपलब्ध कराई।

अधीक्षण खनि अभियन्ता (सतर्कता)
निदेशालय खान एवं भू-विज्ञान विभाग
राजस्थान, उदयपुर

CC: The Director, Dept. of Mines and Geology, Khaniz Bhawan, Shastri Circle, Udaipur.

Hindustan Zinc Limited
Registered Office: Yashad Bhawan, Udaipur (Rajasthan) - 313 004
T +91-294 660 4000-02 F +91294-242 7739 www.hzlindia.com
CIN : L27204RJ1966PLC001208

(भावना जोशी)
भू-वैज्ञानिक
खान एवं भू-विज्ञान विभाग

हिंदुस्तान जिंक लि. द्वारा दिये गए जवाब पर एसडीआरआई का प्रतिउत्तर

(५०)

१२०
२७.५.२१

राजस्थान सरकार

राज्य राजस्व आसूचना निदेशालय,राजस्थान

भूतल 'डी' ब्लॉक, वित्त भवन, जयपुर

ई-मेल sdri@rajasthan.gov.in फैक्स 0141-2744841

क्रमांकः– प.(6)/रा.रा.आ.नि./खान/1795 दिनांक : 15.3.21

अतिरिक्त निदेशक (सतर्कता)
विभागीय नोडल अधिकारी,
खान एवं भू–विज्ञान विभाग,
शास्त्री सर्किल, उदयपुर,
राजस्थान

विषयः– हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा लेड–जिंक के खनन से प्राप्त उप–उत्पाद की रॉयल्टी की राशि रु. 2500 करोड़ के अपवंचना बाबत्।

संदर्भः– आपका पत्रांक निदे/सत/एसडीआरआई/प.152/2021/145 दिनांक 23.02.21

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड के प्रतिनिधि द्वारा उक्त प्रकरण में निदेशालय में उपस्थित होकर सूचना चाही गई थी। जिसकी सूचना एक निर्धारित तालिका में पत्र क्रमांक 1358 दिनांक 05.01.2021 से मुख्य कार्यकारी अधिकारी, हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड को उपलब्ध करवा दी गई थी। खान एवं भू–विज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार एवं भारतीय खान ब्यूरो, भारत सरकार को हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा दिए गए आकड़ें उपलब्ध कराई गई तालिका में हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा उप–उत्पाद के रूप में प्राप्त सिल्वर की वर्ष 2012–13 से 2017–18 तक उत्पादन और मूल्य की सूचना के रूप में उपलब्ध कराए गए है। लेड एवं जिंक के खनन से प्राप्त उप–उत्पाद सिल्वर की मात्रा भारत सरकार एवं राजस्थान सरकार को हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा विभिन्न आकड़ों के रूप में दिए गए है। चूंकि राजस्थान सरकार को दिए गए आकड़ें भारतीय खान ब्यूरो को दिए गए आकड़ों से भिन्न है तथा खान एवं भू–विज्ञान विभाग द्वारा हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड से प्राप्त की गई सिल्वर की सूचना यथावत ही स्वीकार कर ली जाती है, प्राप्त की गई सूचना को पृथक से प्रमाणित नहीं किया जाता है और दी गई रॉयल्टी को यथावत ही स्वीकार कर लिया जाता है। जबकि सिल्वर की भारतीय खान ब्यूरो को दी गई सूचना राजस्थान सरकार को दी गई सूचना से भिन्न है। इससे प्रतीत होता है कि हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा रॉयल्टी देते समय सिल्वर के उत्पादन को छुपाया गया है और उत्पादन की मात्रा को कम करके बताया गया है।

हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा अपने पत्र में कहा गया है कि वर्ष 2012–13, 2013–14 एवं 2014–15 में 196 टन की परिशुद्ध (Concentrate) सिल्वर बाहर से आयात की गई है। जबकि भारतीय खान ब्यूरो की Year Book के अनुसार तालिका में दी गई सिल्वर की मात्रा में आयातित सिल्वर सम्मिलित नहीं है।

हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा आपत्ति की गई है कि वर्ष 2014–15 में सिल्वर का मूल्य रु. 9,500 प्रति किलोग्राम दर्शायी गई है। इस क्रम में लेख है कि वर्ष 2012–13 से 2017–18 तक के आकड़े जों तालिका में दिए गए है, वह खान एवं भू–विज्ञान विभाग,.

सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत उपलब्ध कराई।

(मोहम्म जोशी)
भू–वैज्ञानिक
खान एवं भू–विज्ञान विभाग

अधीक्षण खनि अभियन्ता (सतर्कता मु.)
निदेशालय खान एवं भू–विज्ञान विभाग
राजस्थान उदयपुर

Hindi Mines letter Page 74

हिंदुस्तान जिंक लि. द्वारा दिये गए जवाब पर एसडीआरआई के प्रतिउत्तर का शेष भाग

(14)

120
4.21

जस्थान सरकार द्वारा जारी किए गए है। जिसे विभागीय प्रगति प्रतिवेदन में भी सम्मि किया गया है। निदेशालय के अधिकारी के उदयपुर दौरे के दोरान तत्कालीन नोडल अधि श्री दीपक तंवर एवं खान एवं भू–विज्ञान विभाग के आंकड़ों का संकलन करने वाले अधि खनिज अर्थशास्त्री की उपस्थिति में उक्त तालिका के आकड़ों का व्यक्तिशः मिलान किया था एवं जिसे सही पाया गया था। इस क्रम में विभागीय नोडल अधिकारी द्वारा हिन्दुस जिंक लिमिटेड से वर्ष 2012 से 2018 तक के सिल्वर के उत्पादन के आकड़ें जोंकि खान भू–विज्ञान विभाग को रॉयल्टी के भूगतान हेतु उपलब्ध कराए गए है, उनकी प्रति एवं संबं सिल्वर के उत्पादन के आकड़ें जोंकि भारतीय खान ब्यूरो को उपलब्ध कराए गए है, की प्र प्राप्त कर हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड से आकड़ों की भिन्नता का उत्तर मांगा जाना चाहिए।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

प्रति सूचना के अधिकार के तहत जारी

खनि अभियन्ता
खान एवं भूविज्ञान विभाग, अजमेर

अतिरिक्त निदेशक (प्रशा.)

इस प्रकरण मे इन्कम टेक्स विभाग द्वारा खान विभाग को जारी किया गया सम्मन|

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
INCOME TAX DEPARTMENT
OFFICE OF THE ASSISTANT DIRECTOR OF INCOME TAX, INVESTIGATION
DDIT/ADIT(Inv.),1, Udaipur

D.No. 328 | 15.2.21

To, The Additional Director Directorate, Department of Mines & Geology,Khanij Bhawan, Shastri Circle,Udaipur, Udaipur, Rajasthan India 0	

PAN:	Assessment Year: 2013-14	DIN & Notice No : ITBA/INV/S/131/2020-21/1030662080(1)	Dated: 15/02/2021

Sir/Madam

Sub: SUMMONS TO ASSESSEE/ WITNESS UNDER SECTION 131(1A) OF THE INCOME TAX ACT, 1961.

Whereas your attendance is required in connection with the proceedings under the Income Tax Act, 1961 in case of M/s Hindustan Zinc Ltd., Udaipur.

You are hereby required to attend my office **at MOOMAL TOWER, UDAIPUR, RAJASTH, UDAIPUR, RAJASTHAN, on 22/02/2021 at 11:30 AM,** to give evidence and / or to produce either ~~personally~~ or through an authorized representative the books of account or other documents specified below and not to depart until you receive my permission to do so.

Without prejudice the provisions of any other law for the time being in force, if you intentionally omit to so attend and give evidence or produce the books of account or documents, a penalty of Rs. 10,000/- (Ten thousand only) may be imposed upon you under section 272A(1)(c) of the Income Tax Act,1961 for each such default or failure.

MEHUL BHARAT JAIN
DDIT/ADIT(Inv.),1, Udaipur

Books of Accounts or documents to be produced

Investigation on the issue of alleged income tax evasion by M/s Hindustan Zinc Ltd is pending with this office. In this reference, it is humbly requested to you to submit the following information:-

1. As per information available with this office, Rajasthan State Department of Revenue Intelligence has forwarded an investigation report in the case of M/s Hindustan Zinc Ltd. on the issue of production of silver and cadmium from year

Note: If digitally signed, the date of digital signature may be taken as date of document.
,MOOMAL TOWER, UDAIPUR, RAJASTH, 16, MOOMAL TOWER, SAHELI MARG, UDAIPUR, Rajasthan, 313001
Email: UDAIPUR.DDIT.INV1@INCOMETAX.GOV.IN,

* DIN- Document Identification No.

(भावेश जोशी)
भू-वैज्ञानिक
खान एवं भू-विज्ञान विभाग

सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत उपलब्ध कराई।

अधीक्षण खनि अभियन्ता (सतर्कता)
निदेशालय खान एवं भू-विज्ञान विभाग
राजस्थान

इस प्रकरण मे इन्कम टेक्स विभाग द्वारा खान विभाग को जारी किए गए सम्मन का शेष भाग|

ITBA/INV/S/131/2020-21/1030662080(1)

2012-13 to 2017-18. You are requested to share a copy of such investigation reports, along with all annexure and evidences, with this office.

2. You are also requested to share copies of notices/show cause issued by your office to M/s Hindustan Zinc Ltd. in relation to this case.

Please note that personal attendance is not required.

MEHUL BHARAT JAIN
DDIT/ADIT(Inv.),1, Udaipur

① SDRI letter No [3010] date 4/2/20
DMG] Depart letter No [1641] date 20.05.2020
② Vedanta Matter No [412] date 20-06-20
③ ~~Vedanta~~
④ DMG letter NO [1699] date 26.06-2020
⑤ Vedanta letter NO [418] date 29-06-2020
⑥ DMG letter NO [509] date 05-11-2020
⑦ Vedanta letter NO [476] date 13-11-2020

Recieved as above
ITI
16/02/2021

अधीक्षण खनि अभियन्ता (सतर्कता मु.)
निदेशालय खान एवं भू-विज्ञान विभाग
राजस्थान, उदयपुर

सूचना के अधिकार अधिनियम के
तहत उपलब्ध कराई।

(भावना जोशी)
भू-वैज्ञानिक
खान एवं भू-विज्ञान विभाग
उदयपुर

Page 2 of 2

इस प्रकरण मे जीएसटी विभाग द्वारा खान विभाग को जारी किया गया पत्र

कार्यालय **सहायक आयुक्त**

केन्द्रीय वस्तु एंव सेवाकर **संभाग-A**

चतुर्थतल, एल0आई0सी0 भवन, रैतीस्टेण्ड, उदयपुर (राज.) . 313001

C.No. V(Misc.)4-07/Ad-hoc tech/CGSTD-A/ 967

Date: 02.09.2021
03

To

Sh. N.K. Kothari,
Additional Director (Mines),
Directorate of Mines & Geology,
Khanij Bhawan,
Udaipur-313001

C.C. SDRI 2/9/21

Sir,

Sub: Details of short paid Royalty by M/s. Hindustan Zinc Ltd., Udaipur to the Rajasthan State Government - Reg.

Please refer to this office letter of even No. 22 dt. 15.07.2021 on the above subject.

In this connection, this office may please be informed about the latest position of the case and if any show cause notice has been issued to M/s. Hindustan Zinc Ltd., Udaipur a copy of the same may please be provided. The calculation sheet in respect of Royalty may also be provided.

Matter may please be given priority.

Yours faithfully,

03/09/2021

(SANJAY KUMAR RAV)
ASSISTANT COMMISSIONER

अधीक्षण खनि अभियन्ता (सतर्कता मु.)
निदेशालय खान एवं भू-विज्ञान विभाग
राजस्थान, उदयपुर

(भावना जोशी)
भू–वैज्ञानिक
खान एवं भू–विज्ञान विभाग
उदयपुर

सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत उपलब्ध कराई।

जीएसटी विभाग द्वारा खान विभाग को जारी किए गए पत्र के क्रम मे खान विभाग द्वारा दिया गया रटा-रटाया जवाब

राजस्थान सरकार
निदेशालय खान एंव भू–विज्ञान विभाग खनिज भवन, उदयपुर 313001
दूरभाष / 2415091–95, फैक्सः 0294–2410526

क्रमांकः– निदे / सत / एस.डी.आर.आई. / प.152 / 2021 / 292 दिनांक – 29/09/2021

प्रेषिति,

सहायक आयुक्त,
केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकरा संभाग–ए,
चतुर्थतल, एलआईसी भवन,
रैतीस्टेण्ड, उदयपुर(राज.)।

विषय–Details of short paid Royalty by M/s. Hindustan Zinc Ltd., Udaipur to The Rajasthan State Governmnet- Reg.

प्रसंगः–आपके पत्र कमांक 967 दिनांक 03.09.2021 के कम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि आप द्वारा उक्त प्रासंगिक पत्र से प्रकरण की वर्तमान स्थिति एवं मै. हिन्दुस्तान जिंक लि., उदयपुर को कोई कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है या नहीं से अवगत कराने हेतु लिखा गया जिसके संबंध में लेख है कि मै. हिन्दुस्तान जिंक लि. द्वारा उत्पादित धातुओं के साथ उप उत्पाद चांदी एवं केडमियम की मात्रा की सूचना खान विभाग एवं भारतीय खान ब्यूरो को रिटर्न के माध्यम से प्रेषित की जाती है। उक्त सूचना का प्रकाशन खान विभाग, उदयपुर एवं भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर द्वारा कमशः उनकी वेबसाईट एवं वार्षिक पुस्तिका में किया जाता है। एसडीआरआई द्वारा वर्ष 2012–13 से 2017–18 की अवधि में खान विभाग की वेबसाईट एवं भारतीय खान ब्यूरो की वार्षिक पुस्तिका में दर्शाये गये उप उत्पाद चांदी एवं केडमियम की मात्रा के आंकडे के प्रेषित कर अवगत कराया कि दोनो विभागों को प्रस्तुत आंकडो में अंतर है व कंपनी द्वारा विभाग को चांदी की कम व केडमियम की अधिक रॉयल्टी का भुगतान किया गया है व 2537 करोड़ चांदी का मूल्य बताया जाकर प्रकरण दर्ज किया गया है। एसडीआरआई के पत्र पर निदेशालय द्वारा कमशः पत्र कमांक 1641 दिनांक 20.05.2020, 26.06.2020, 09.11.2020 एवं 31.05.2021(प्रति संलग्न) से जवाब भिजवाने हेतु लिखा गया। कंपनी द्वारा प्रस्तुत जवाब में उन्होनें चांदी उत्पादन के साथ आयात खनिज से भी चांदी उत्पादन होना बताया गया। इसी प्रकार एसडीआरआई द्वारा पत्र दिनांक 09.07.2021 से खनिज सिल्वर की रॉयल्टी अपवंचना के संबंध में बनाये गये प्रकरण के समान तथ्यो के आधार पर ही खनिज लेड–जिंक के आंकड़ों मे विषमता होने से 1113.63 करोड़ की संभावित रॉयल्टी अपवंचना का प्रकरण दर्ज कर निदेशालय को प्रेषित किया गया। जिसके संबंध में मै. हिन्दुस्तान जिंक लि. द्वारा प्रस्तुत उत्तर व एसडीआरआई से प्राप्त रिपोर्ट के आंकड़ों का तुलनात्मक विवरण संबंधित एसेसिंग ऑथेरिटी कार्यलयों को प्रेषित कर उनके कार्यालयों में प्रस्तुत आंकडो का मिलान भारतीय खान ब्यूरों से कंपनी द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों की प्रति मंगवाकर मिलान कर जांच कर, नियमानुसार कार्यवाही कर की गई जांच / कार्यवाही से निदेशालय को अवगत कराने हेतु लिखा गया है। प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही जारी है।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

अधीक्षण खनि अभियन्ता (सतर्कता मु.)
निदेशालय खान एवं भू-विज्ञान विभाग
राजस्थान उदयपुर

भवदीय,

(मीना जोशी)
भू–वैज्ञानिक
खान एवं भू–विज्ञान विभाग
उदयपुर

सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत उपलब्ध कराई।

(एन.के. कोठारी)
अतिरिक्त निदेशक खान (सत0मु0)

खान विभाग द्वारा खनिज अभियंता भीलवाडा,राजसमंद-द्वितीय,अजमेर,उदयपुर को 1113.63 करोड़ की कर चोरी के संबंध मे भेजा गया पत्र

(61)

राजस्थान सरकार
निदेशालय खान एंव भू–विज्ञान विभाग खनिज भवन, उदयपुर 313001
दूरभाश / 2415091–95, फैक्सः 0294–2410526

क्रमांकः– निदे / सत / एस.डी.आर.आई. / प.152 / 2021 / 262-265 दिनांक – 23 .07.2021

प्रेषितिः–

खनि अभियन्ता, भीलवाड़ा / राजसमंद–द्वितीय / अजमेर / उदयपुर,
खान एवं भूविज्ञान विभाग।

विषयः–हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा लेड जिंक की रॉयल्टी में राशि रूपये 1113.63 करोड़ का अपवंचन बाबत्।

महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत प्रकरण में लेख है कि एसडीआरआई द्वारा पत्र दिनांक 09.07.2021 से अवगत कराया गया कि राज्य में खनिज लेड एवं जिंक के खनन हेतु मै. हिन्दुस्तान जिंक लि. के पक्ष में निकट ग्राम रामपुरा–आगुचा, सिंदेसर खुर्द, जावर, राजपुरा–दरीबा एवं कायड़ में खनन पट्टे स्वीकृत हैं। जिनमें से उत्पादित खनिज लेड एवं जिंक का शुद्धीकरण निकट ग्राम चंदेरिया, दरीबा, एवं देबारी में स्थापित स्मेल्टिंग प्लांट में किया जा रहा है। मै. हिन्दुस्तान जिंक लि. द्वारा उक्त उत्पादित धातुओं की मात्रा की सूचना खान विभाग एवं भारतीय खान ब्यूरो को रिटर्न के माध्यम से प्रेषित की जाती है। उक्त सूचना का प्रकाशन खान विभाग, उदयपुर एवं भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर द्वारा कमशः उनकी वेबसाईट एवं वार्षिक पुस्तिका में किया जाता है। एसडीआरआई द्वारा वर्ष 2013–14 से 2018–19 की अवधि में खान विभाग की वेबसाईट एवं भारतीय खान ब्यूरो की वार्षिक पुस्तिका में दर्शाये गये उक्त खनिज लेड–जिंक की मात्रा के आंकडे प्रेषित कर अवगत कराया कि दोनो विभागों को प्रस्तुत आंकडो में अंतर है व कंपनी द्वारा विभाग को लेड–जिंक की कम रॉयल्टी का भुगतान किया गया है तथा संभावित अपवंचना 1113.63 करोड़ बताई गई है।

चूंकि आप अपने क्षेत्राधिकार में हिन्दुस्तान जिंक लि0 को स्वीकृत खननपट्टो के एसेसिंग ऑथेरिटी है अतः एसडीआरआई द्वारा प्रेशित रिपोर्ट की प्रति संलग्न कर आपको निर्देशित किया जाता है कि खननपट्टावार कंपनी द्वारा आपके कार्यालय को प्रस्तुत आंकडो का मिलान भारतीय खान ब्यूरों से कंपनी द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों(मासिक / वार्षिक) की प्रति मंगवाकर मिलान कर जांच कर, नियमानुसार कार्यवाही कर की गई जांच / कार्यवाही से दिनांक 30.08.2021 तक निदेशालय को अवगत करावें।

सलंग्नः–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत उपलब्ध कराई।

(एन.के. कोठारी)
अतिरिक्त निदेशक खान (सत0मु0)

क्रमांकः– निदे / सत / एस.डी.आर.आई. / प.152 / 2021 / 266-267 दिनांक –23 .07.2021

प्रतिलिपिः–1. महानिदेशक, एसडीआरआई, जयपुर को उनके पत्र कमांक 351 दिनांक 09.07.2021 के कम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषत है।

1. अतिरिक्त निदेशक खान, उदयपुर–जोन, उदयपुर को उनके पत्र कमांक 1146 दिनांक 13.07.2021 के संदर्भ में दी जाकर निवेदन है कि प्रकरण की अपने स्तर से मोनेटरिंग की जाकर अग्रिम कार्यवाही करवाना सुनिश्चित करा निदेशालय को अवगत करावें।

23/7/21
अतिरिक्त निदेशक खान (सत0मु0)

(शाकिर जोशी)
भू–वैज्ञानिक
खान एवं भू–विज्ञान विभाग
उदयपुर

खान विभाग द्वारा खनिज अभियंता भीलवाडा,राजसमंद-द्वितीय,अजमेर,उदयपुर को 2500 करोड़ की कर चोरी के संबंध मे भेजा गया पत्र

(67)

राजस्थान सरकार

निदेशालय खान एंव भू–विज्ञान विभाग खनिज भवन, उदयपुर 313001

दूरभाश / 2415091–95, फैक्सः 0294–2410526

क्रमांकः– निदे / सत / एस.डी.आर.आई. / प.152 / 2021 / 268–271 दिनांक –23 .07.2021

प्रेषितिः–

खनि अभियन्ता, भीलवाड़ा / राजसमंद–द्वितीय / अजमेर / उदयपुर,
खान एवं भूविज्ञान विभाग।

विषयः–हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा लेड जिंक के खनन से प्राप्त लेड, जिंक धातु के अतिरिक्त प्राप्त उप उत्पाद की रॉयल्टी में राशि रूपये 2500 करोड़ का अपवंचन बाबत्।

महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत प्रकरण में लेख है कि एसडीआरआई द्वारा पत्र दिनांक 04.02.2020 से अवगत कराया गया कि राज्य में खनिज लेड एवं जिंक के खनन हेतु मै. हिन्दुस्तान जिंक लि. के पक्ष में निकट ग्राम रामपुरा–आगुचा, सिंदेसर खुर्द, जावर, राजपुरा–दरीबा एवं कायड़ में खनन पट्टे स्वीकृत हैं। जिनमें से उत्पादित खनिज लेड एवं जिंक का शुद्धीकरण निकट ग्राम चंदेरिया, दरीबा एवं देबारी में स्थापित स्मेल्टिंग प्लांट में किया जा रहा है। उक्त स्मेल्टरो से लेड एवं जिंक के अतिरिक्त उप उत्पाद के रूप में चांदी, केडमियम एवं सल्फ्युरिक एसिड भी प्राप्त होता है। मै. हिन्दुस्तान जिंक लि. द्वारा उक्त उत्पादित धातुओं के साथ उप उत्पाद चांदी एवं केडमियम की मात्रा की सूचना खान विभाग एवं भारतीय खान ब्यूरो को रिटर्न के माध्यम से प्रेषित की जाती है। उक्त सूचना का प्रकाशन खान विभाग, उदयपुर एवं भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर द्वारा कमशः उनकी वेबसाईट एवं वार्षिक पुस्तिका में किया जाता है। एसडीआरआई द्वारा वर्ष 2012–13 से 2017–18 की अवधि में खान विभाग की वेबसाईट एवं भारतीय खान ब्यूरो की वार्षिक पुस्तिका में दर्शाये गये उक्त उप उत्पाद चांदी एवं केडमियम की मात्रा के आंकडे प्रेषित कर अवगत कराया कि दोनो विभागों को प्रस्तुत आंकडो में अंतर है व कंपनी द्वारा विभाग को चांदी की कम व केडमियम की अधिक रॉयल्टी का भुगतान किया गया है व 2537 करोड़ चांदी का मूल्य बताया गया है। एसडीआरआई के पत्र पर निदेशालय द्वारा कमशः पत्र कमांक 1641 दिनांक 20.05.2020, 26.06.2020, 09.11.2020 एवं 31.05.2021 से कंपनी को नोटिस दिये। कंपनी द्वारा प्रस्तुत जवाब में उन्होनें चांदी उत्पादन के साथ आयात खनिज से भी चांदी उत्पादन होना बताया गया। कंपनी द्वारा प्रस्तुत उत्तर व एसडीआरआई से प्राप्त रिपोर्ट के आंकड़ों के विवरण की तालिका सलंग्न है।

चूंकि आप अपने क्षेत्राधिकार में हिन्दुस्तान जिंक लि0 को स्वीकृत खननपट्टो के एसेसिंग ऑथेरिटी है अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि खननपट्टावार कंपनी द्वारा आपके कार्यालय को प्रस्तुत आंकडो का मिलान भारतीय खान ब्यूरों से कंपनी द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों(मासिक / वार्षिक) की प्रति मंगवाकर मिलान कर जांच कर, नियमानुसार कार्यवाही कर की गई जांच / कार्यवाही से दिनांक 30.08.2021 तक निदेशालय को अवगत करावें।

सलंग्नः–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत उपलब्ध कराई।

(एन.के. कोठारी)
अतिरिक्त निदेशक खान (सत0मु0)

क्रमांकः– निदे / सत / एस.डी.आर.आई. / प.152 / 2021 / 272–273 दिनांक – .07.2021

प्रतिलिपिः–

1. महानिदेशक, एसडीआरआई, जयपुर को उनके पत्र कमांक 1795 दिनांक 15.03.2021 के कम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषत है।
2. अतिरिक्त निदेशक खान, उदयपुर–जोन, उदयपुर को उनके पत्र कमांक 1146 दिनांक 13.07.2021 के संदर्भ में दी जाकर निवेदन है कि प्रकरण की अपने स्तर से मोनेटरिंग की जाकर अग्रिम कार्यवाही करवाना सुनिश्चित करा निदेशालय को अवगत करावें।

(भावना जोशी)
भू–वैज्ञानिक

अधीक्षण खनि अभियन्ता (सतर्कता मु.)
निदेशालय खान एवं भू–विज्ञान विभाग

23/7/21
अतिरिक्त निदेशक खान (सत0मु0)

इस प्रकरण मे खान विभाग द्वारा कमिटी गठन के दिये गए आदेश,जो जांच के नाम पर मात्र इंडिस्ट्रियल विजिट करके आ गयी|

राजस्थान सरकार
निदेशालय खान एव भू विज्ञान विभाग राजस्थान उदयपुर

कार्यालय आदेश

क्रमांक /निखाभू/प्रधान/सीसी–I/ई रवन्ना/2018-19/248 दिनाक – 03 02.2020

अधीक्षण खनि अभियन्ता, अजमेर द्वारा पत्र दिनाक 17.01.2020 से मैसर्स हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड के कायड (अजमेर) स्थित खनन पट्टे मे निर्गमित खनिज के सम्बन्ध मे खनिज के सेम्पलस का भारतीय खान ब्यूरो की प्रयोगशाला मे रासायनिक विश्लेषण कराने पर मैसर्स हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा विभाग को रॉयल्टी निर्धारण हेतु प्रस्तुत ऑकडो के अनुसार रॉयल्टी अपवचना होना अवगत करवाया गया है एव उक्त कम्पनी के अन्य जिलो मे भी खनन पट्टे होने के कारण एक जॉच समिति गठित करने हेतु प्रस्तावित किया है। इसी प्रकार खनि अभियन्ता, भीलवाड़ा द्वारा उक्त कम्पनी के रामपुरा आगुचा स्थित खनन पट्टे के सम्बन्ध मे रॉयल्टी अपवचना पाई जाकर दिनाक 31.01.2020 से नोटिस जारी किया गया है।

अत मैसर्स हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड के उदयपुर, राजसमन्द एव भीलवाड़ा मे स्थित खनन पट्टो में कम्पनी द्वारा विभाग को प्रस्तुत किये जा रहे रॉयल्टी निर्धारण के ऑकडो की क्रॉस चेकिंग करने तथा कम्पनी द्वारा पूर्व मे यदि रॉयल्टी कम अदा की गई हो तो उसकी वसूली हेतु सुझाव एवं भविष्य मे विभाग को किसी प्रकार की राजस्व हानि नहीं हो इसके लिये रॉयल्टी निर्धारण किये जाने हेतु अपनाई जाने वाली मानक प्रकिया तैयार कर प्रस्तुत करने हेतु निम्नानुसार कमेटी का गठन किया जाता है:–

1. वित्तीय सलाहकार, के.का., उदयपुर
2. अतिरिक्त निदेशक खान, उदयपुर जोन, उदयपुर
3. अधीक्षण भूवैज्ञानिक, उदयपुर
4. वरिष्ठ रसायनज्ञ, के.का., उदयपुर

उपरोक्त कमेटी एक माह मे अपनी रिपोर्ट प्रेषित करेगी।

उक्त आदेश निदेशक महोदय द्वारा पत्रावली के पेरा 50/एन पर दिये गये आदेशो के अनुसरण में जारी।

11/02/2020

03/2/2020
(एन.के. कोठारी)
अतिरिक्त निदेशक खान (मु)

213
11/02/2020

क्रमांक /निखाभू/प्रधान/सीसी–I/ई रवन्ना/2018-19/249 दिनाक – 03 02.2020
-152

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. वित्तीय सलाहकार, के.का., उदयपुर
2. अतिरिक्त निदेशक खान, उदयपुर जोन, उदयपुर
3. अधीक्षण भूवैज्ञानिक, उदयपुर
4. वरिष्ठ रसायनज्ञ, के.का., उदयपुर

(एन.के. कोठारी)
अतिरिक्त निदेशक खान (मु)